

अवैध निर्माण पर भिलाई निगम ने की कार्रवाई

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्माण सुंदर नगर में किया जा रहा था। भिलाई निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की। इससे पूर्व तीन बार नोटिस जारी किया गया था। फिर भी नोटिस का जवाब नहीं मिला और जो मिला वह संतोषप्रद नहीं था। दरअसल सुंदर नगर के एक भवन में तीसरी मंजिल तथा चौथी मंजिल में बिना अनुमति के निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को लेकर मौका मुआयना किया गया तथा नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया परंतु फिर भी भवन मालिक के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसको लेकर नगर पालिक निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी, भवन अनुज्ञा विभाग के दौलत चंद्राकर एवं निगम की तोड़फोड़ दस्ता भवन के भीतर प्रवेश करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। कार्यवाही होते देख भवन के मालिक ने अनाधिकृत विकास के अर्थदंड स्वरूप पांच लाख की राशि निगम कोष में जमा की तथा नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने टीम को आश्वस्त किया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण तथा अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए इसी तारतम्य में कार्रवाई की जा रही है।

